

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)**

पत्रांक १६४

हरनौत,

दिनांक १८/६/२१

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार (डॉइमा)

८५९८५

विषय:-

M.N.P. योजनान्तर्गत डॉइमा श्रीमान् ५८९५४

पथ का पचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक-

दिनांक-

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयाकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या _____ के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षा तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पति का ह्रास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार हैं।

आपको एकरारनामा के Clause of Contract के Clause 14 के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही आपके निबंधन को काली सूखी डालने हेतु अनुशंसा किया जाता है। तथा निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने पर आप के एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासमाजन

१८/६/२१

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।